कार्यालय नगर पंचायत अटसू, औरैया

पत्रांकः–मेमो /अल्पकालीन नि0आमं0सू0/न0पं0अ0/2017–18 दिनांकः– 06 मई, 2017

–: कार्य संविदा (वर्क कान्ट्रेक्ट) हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना :–

मा0 सचिव, नगर विकास विभाग–7 के पत्र सं0: 898/नौ–7–17–27ज0/2004 लखनऊ दिनांकः 25 मार्च, 2017 एवं नगर पंचायत अटसू के बोर्ड के प्रस्ताव सं0 01 दिनांकः 10.04.2017 के अनुपालन क्रम में नगर के समस्त नालों की सफाई एवं सभी वार्डो की विशेष सफाई अभियान हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्य संविदा (वर्क कॉन्ट्रेक्ट) पर निम्नांकित कार्य कराये जाने हेतु नगर पंचायत अटसू के समस्त ठेकेदारों/स्वयं सेवी संस्थाओं से मुद्रांकित निविदायें आमंत्रित की जाती है। कार्य के लिये निविदा प्रपत्र नगर पंचायत कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे एवं कार्यालय नगर पंचायत अटसू में डाले जा सकेंगे अथवा रजिस्टर्ड डाक से अपरान्ह 03:00 बजे तक प्राप्त निविदायें ही मान्य होगी जो उसी दिन अपरान्ह 03:30 बजे ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी के द्वारा खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य योजना का नाम एवं पद संख्या	व्यानुमान धनराशि	प्रतिभूत राशि	निविदा मूल्य	कार्य अवधि	निविदा क्रय, निविदा प्रेषित एवं निविदा खोलने का दिनांक	अन्य विवरण
01	सफाई कर्मचारी–15	शासन के शासनादेश के अनुसार सेवा कर एवं अन्य कर	5,000.00	100.00	02 माह	क्रय करने की तिथि 15.05.2017 तथा डालने एवं खोलने की तिथि दिनांक 17.05.2017	पांचवीं पास अथवा साक्षर

नियम व शर्तेः–

1. निविदादाता को निविदा की प्रतिभूति राशि एफ0डी0आर0/बचत पत्र/नकद जो अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत अटसू के पदनाम से बंधक कराकर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत अटसू, औरैया में निहित होगा। जिसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
3. उक्त कार्य को सम्पन्न कराये जाने में किसी प्रकार की कोई दैवीय आपदा घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। नगर पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कोई क्लेम आदि देय न होगा।
4. स–शर्त प्रेषित निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा स्वीकृत हो जाने पर संस्था/फर्म/ठेकेदार को रू0 100.00 (रू0 सौ मात्र) के जनरल स्टाम्प पेपर पर नगर पंचायत अटसू के पक्ष में नोटरी अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
6. उक्त कार्यों को सम्पन्न कराये जाने में प्रयोग होने वाली समस्त सामग्री की आपूर्ति नगर पंचायत कार्यालय द्वारा की जायेगी।
7. निविदादाता का श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
8. नियमानुसार मानदेय बिल से आयकर कटौती करने के उपरान्त ही भुगतान होगा।
9. अनुबन्ध न करने की दशा में जमा जमानत धनराशि नगर पंचायत अटसू के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
10. कर्मचारी की दक्षता एवं कार्य क्षमता को देखते हुए भविष्य में आवश्यकतानुसार उसकी यह नियुक्ति आगे की अवधियों के लिये बढ़ाई जा सकती है।

11. समस्त कार्मिकों को निर्धारित मानदेय देय है।
12. अन्य शर्तें कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
13. निविदा बिक्री/निविदा खोलने के दिन यदि कोई सरकारी अवकाश/अन्य किसी कारण से अवकाश होता है तो निविदा अगले दिन बेची/खोली जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत अटसू
जनपद–औरैया

अध्यक्ष
नगर पंचायत अटसू
जनपद–औरैया

प्रतिलिपिः– संख्या व दिनांक तदैव।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विज्ञापन व्यवस्थापक **"दैनिक जागरण एवं दैनिक अमर उजाला"** को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना अपने समाचार पत्र के औरैया संस्करण के औरैया पेज पर अधिकतम छूट प्रदान करते हुए प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें एवं समाचार पत्र की 03 प्रतियों सहित बिल इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी महोदय, औरैया।
3. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी, स्था0नि0, औरैया।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, औरैया को जनपद औरैया की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. कार्यालय नगर पंचायत अटसू के सूचना पट पर चस्पा हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत अटसू
जनपद–औरैया

अध्यक्ष
नगर पंचायत अटसू
जनपद–औरैया